



Neutral Citation Number- 2026:AHC:35856-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2399/2026

नीरज कुमार

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : फरहान खान, कैश परवेज़, एमडी रेहान

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : भाग्यवती वर्मा, दिनेश कुमार मौर्य, जी.ए.

वीरेंद्र सिंह परमार

न्याय कक्ष संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री फरहान खान, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री वीरेंद्र सिंह परमार, प्रत्यर्थी संख्या-4 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री फरहान खान ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि वे इस रिट याचिका पर ज़ोर नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. प्रत्यर्थी संख्या-4 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान ए.जी.ए. को भी उपर्युक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, यह रिट याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

18 फरवरी, 2026

वीकेजी

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”